न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, गाजीपुर।
उपस्थितः शक्ति सिंह–I (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.Code –UP6352
सत्र परीक्षण संख्या–248/2022
CNR No. UPGH01001773–2022

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजन

बनाम

मो० अमजद खाँ पुत्र स्व० इशरार खाँ निवासी ग्राम बारा थाना गहमर, जिला गाजीपुर
............अभियुक्त

मु०अ०सं०–237/2021
धारा–302 भा०दं०सं०
थाना–गहमर, जनपद– गाजीपुर

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण संख्या–248/2022, मु.अ.सं.–237/2021 राज्य बनाम मो अमजद खाँ में अभियुक्त मो० अमजद खाँ का विचारण अन्तर्गत धारा–302 भा.दं.सं. में किया जा रहा है।

2. थाना पुलिस गहमर जनपद गाजीपुर द्वारा मु०अ०सं०–237/2021 में अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरुद्ध धारा–302 भा.दं.सं. में आरोप पत्र विचारण हेतु विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मो० अरबाज खाँ द्वारा दिनांक–21.10.2021 को समय 18:30 पी.एम. बजे थाना गहमर पर एक तहरीर **प्रदर्श क–1** इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी अरबाज खाँ पुत्र मो० शमीम खाँ ग्राम पोस्ट मिर्चा थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बड़ा भाई मो०

अमजद खाँ काम के सिलसिले में मुम्बई गया है तथा मेरी भाभी सबाना नाज मेरे भतीजे के साथ अपने माइके बारा थाना क्षेत्र गहमर में करीब डेढ़ माह पूर्व से गयी थी। मेरे भतीजे का नाम दानीयाल उम्र करीब 4 वर्ष है। आज दिनांक 21.10.2021 को समय करीब चार बजे साढ़े चार बजे के बीच शाम को मायके बारा में ही मेरे भाई का साला अमजद खाँ पुत्र स्व० इशरार खाँ ने मेरे भतीजे दानीयाल की बिना किसी कारण के चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कारित कर दी। जानकारी हुई कि मेरे भतीजे दानीयाल को भदौरा अस्पताल में ले गये हैं, जहाँ डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है।

4. वादी अरबाज खाँ द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरूद्ध मु.अ.सं.–237/2021, अन्तर्गत धारा–302 भा.दं.सं., थाना गहमर में पंजीकृत हुआ, जिसकी चिक एफ.आई.आर. **प्रदर्श क–3** व जी.डी. की कार्बन प्रति **प्रदर्श क–4** के रूप में पत्रावली पर मौजूद है।

5. विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित सुसंगत साक्षियों का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं.प्र.सं. केस डायरी में अंकित किया। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शानजरी **प्रदर्श क–6** तैयार किया तथा विवेचना के दौरान संकलित मृतक के **पंचायतनामा प्रदर्श क–2** व पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5 को विवेचना का अंग बनाया। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरुद्ध धारा–302 भा.दं.सं. में आरोप पत्र **(प्रदर्श क–16A)** न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. मु.अ.सं.–237/2021, अन्तर्गत धारा–302 भा.दं.सं. थाना गहमर के प्रकरण में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के द्वारा आदेश दिनांकित 07.01.2022 के माध्यम से आरोप पत्र मय केस डायरी का अवलोकन करने के उपरान्त अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरुद्ध धारा–302 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त को समस्त प्रपत्रों की नकल अन्तर्गत धारा–207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयी और आदेश दिनांकित 19.04.2022 के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जो कि सत्र परीक्षण संख्या–248/2022 के रूप में संचालित हुआ और अन्तरण के माध्यम से इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

7. न्यायालय द्वारा अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरुद्ध धारा–302 भा.दं.सं. में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

8. अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित को परीक्षित कराया गया है।

क्र.सं.	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी का नाम**
1.	पी.डब्लू–1	शबाना नाज
2.	पी.डब्लू –2	गुलशन आरा
3.	पी.डब्लू –3	मु० अरबाज खाँ (वादी मुकदमा)
4.	पी.डब्लू –4	जूही
5.	पी.डब्लू –5	मु० आसिफ खाँ
6.	पी.डब्लू –6	एखलाक खाँ
7.	पी.डब्लू –7	सेवानिवृत्त उ०नि० विनोद कुमार पाण्डेय
8.	पी.डब्लू –8	डा० सुनील कुमार
9.	पी.डब्लू –9	निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रुप में पत्रावली पर निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं–

क्र.सं.	**प्रदर्श की संख्या**	**प्रदर्श का विवरण**	**प्रदर्श साबित करने वाले साक्षी**
1.	**प्रदर्श क–1**	तहरीर	पी.डब्लू–3 मु० अरबाज खाँ (वादी मुकदमा)
2.	**प्रदर्श क–2**	पंचायतनामा	पी.डब्लू–6 एखलाक खाँ
3.	**प्रदर्श क–3**	चिक एफ.आई.आर.	पी.डब्लू–7 सेवानिवृत्त उ०नि० विनोद कुमार पाण्डेय

4.	**प्रदर्श क–4**	जी.डी. कायमी	पी.डब्लू–7 सेवानिवृत्त उ०नि० विनोद कुमार पाण्डेय
5.	**प्रदर्श क–5**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	पी.डब्लू–8 डा० सुनील कुमार
6.	**प्रदर्श क–6**	नक्शानजरी	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
7.	**प्रदर्श क–7**	फर्द खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
8.	**प्रदर्श क–8**	फर्द एक अदद तकिया का खोल	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
9.	**प्रदर्श क–9**	फर्द खून आलूदा चाकू	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
10.	**प्रदर्श क–10**	अभियुक्त के हाथ व पैर में लगे खून के छीटे काटन का ब्लड के बावत फर्द	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
11.	**प्रदर्श क–11**	फर्द बावत अभियुक्त की खून आलूदा हाफ टी शर्ट	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
12.	**प्रदर्श क–12**	चिट्ठी आर.आई.	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
13.	**प्रदर्श क–13**	चिट्ठी सी.एम.ओ.	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
14.	**प्रदर्श क–14**	चालान नाश	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
15.	**प्रदर्श क–15**	फोटोनाश	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
16.	**प्रदर्श क–16**	नमूना मुहर	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
17.	**प्रदर्श क–16A**	आरोप पत्र	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
18.	**वस्तुप्रदर्श–1**	आला कत्ल चाकू	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
19.	**वस्तुप्रदर्श–2**	एक अदद तकिया का खोल	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन

20.	**वस्तुप्रदर्श–3**	एक अदद खून आलूदा कम्बल	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
21.	**वस्तुप्रदर्श–4 लगायत वस्तुप्रदर्श–7**	मृतक के कपड़े क्रमशः एक अदद टीशर्ट, एक अदद पैंट, ताबिज युक्त धागा, सफेद गमछा	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
22.	**वस्तुप्रदर्श–8**	घटना के समय अभियुक्त द्वारा पहनी हुई टीशर्ट	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
23.	**वस्तुप्रदर्श–9 व वस्तुप्रदर्श–10**	खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
24.	**वस्तुप्रदर्श–11**	अभियुक्त का ब्लड काटन स्वैब	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
25.	**वस्तुप्रदर्श–12**	आला कत्ल खून आलूदा चाकू का ब्लड काटन स्वैब	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
26.	**वस्तुप्रदर्श–13**	खून आलूदा कम्बल का कतरन	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन
27.	**वस्तुप्रदर्श–14**	तकिये का कतरन	पी.डब्लू 9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन

10. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू 8 के द्वारा गलत बयान देने का कथन किया। अभियुक्त मो० अमजद खाँ द्वारा गलत तौर पर मुकदमें में फंसाये जाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया। किन्तु सफाई साक्ष्य के स्तर पर अभियुक्त की ओर से अपने समर्थन में कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के

भतीजे दानीयाल उम्र 4 वर्ष की गला रेतकर निर्मम हत्या कारित की गयी है।

13. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त की अपराध कारित करने में कोई भूमिका नहीं है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध झूठा साक्ष्य दिया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गई है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना किये जाने के पश्चात यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त द्वारा अपने भांजे दानीयाल की गला काटकर हत्या कारित की गयी है, के आरोप को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के बयान का सारांश निम्नवत है, जिसके आधार पर न्यायालय को अपना निष्कर्ष निकालना है–

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–1 शबाना नाज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि मेरे पति विदेश में रहते हैं। घटना से लगभग दो महीने पहले मैं अपने मायके ग्राम बारा थाना गहमर में रहती हूँ। मेरे तीन बच्चे रुखसार, अबीरा और दानियाल हैं। मैं तीनों बच्चो के साथ मायके में गयी थी। घटना दिनांक 21.10.2021 की है। मैं अपनी माँ हुस्नआरा, अपनी बहन रानी उर्फ गुलशन तथा जूही के पास 03:30 बजे शाम को अपने घर के हाते में बाहर बरामदे में चारपाई पर बैठी थी। मेरा छोटा भाई आशिफ तथा अमजद जो इस मुकदमें में अभियुक्त है, अलग–अलग कमरे में सो रहे थे। आसिफ गाड़ी चलाता है और अमजद कोई काम नहीं करता है। उस समय मेरे तीनों बच्चे कुरान पढ़ने के बाद आपस में खेल रहे थे। इसी बीच मेरा भाई उपरोक्त अमजद मेरे बच्चों के साथ आकर खेलने लगा और दानीयाल को पकड़ने का प्रयास कर रहा था तो दानीयाल वहाँ खड़ी स्कोर्पियो गाड़ी के गेट को खोलकर उसके अन्दर घुस गया और दूसरी तरफ से निकलकर भागने लगा तो अभियुक्त अमजद खाँ ने दानियाल को पकड़कर

हाथ से उठा लिया और कमर में दबाकर दुकान से सटे वाले कमरे की तरफ ले जाने लगा। मेरा बेटा दानीयाल अपने आप को अपने मामा के कब्जे से छुड़ाने के लिए बार–बार अनुरोध कर रहा था। मेरी माँ ने अमजद को बच्चों को इस तरफ परेशान करने से मना किया और मैंने सोचा कि मामा भांजा आपस मे खेल रहे हैं। मेरी माँ दानीयाल को छुड़ाने के लिए उक्त कमरे में गयी तो उसने देखा कि उपरोक्त अभियुक्त अमजद खाँ मेरे बेटे दानीयाल को चारपाई पर पटक कर दबाकर उसके गले को चाकू से रेत रहा था और दानीयाल छटपटा रहा था। यह देखकर मेरी माँ जोर–जोर से चिल्लाने लगी और हम लोग भी कमरे की तरफ भागे तो देखा कि अमजद मेरे लड़के दानीयाल का गला चाकू से रेत रहा था तथा दानीयाल के गले से खून बहकर अमजद खाँ के कपड़ो में, हाथ पैर व बनियान में लग गया था। जब हम लोग चिल्लाने लगे तो चाकू दिखाकर हम लोग को धमकाने लगा, जिससे हम लोग डर गये और पीछे हटे, उसी समय अमजद चाकू बक्से के बगल में फेंककर भाग गया। दानीयाल के गले से बहता हुआ खून देखकर हम लोग घबरा गये और दानीयाल को मेरा छोटा भाई आसिफ लेकर अस्पताल गया, जहाँ उसके गले से ज्यादा खून निकलने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। खून चारपाई व कम्बल आदि पर लगा था। मेरे लड़के उक्त दानीयाल की उम्र घटना के समय लगभग 4 वर्ष थी। घटना की रिपोर्ट मेरे देवर अरबाज खाँ ने कराया था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–2 गुलशन आरा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना से लगभग दो महीने पहले मैं अपने मायके चली गयी थी। मेरा मायका ग्राम बारा थाना गहमर है। मेरी बहन शबाना नाज अपने बच्चों रुखसार, अबीरा और दानियाल के साथ मायके आयी थी। मेरी बहन शबाना के पति बाहर नौकरी करते हैं। घटना दिनांक 21.10.2021 की है। शाम लगभग 03:30 बजे का समय था। मैं अपनी बहन शबाना नाज जूही एवं माँ हुस्नआरा के साथ बरामदे में चारपाई पर बैठी थी। घर में मेरा भाई अमजद जो कि इस मुकदमें में अभियुक्त है तथा हमारा भाई आसिफ अलग–अलग कमरों में सो रहे थे। अमजद खान कोई काम धन्धा नहीं करता था। उस समय मेरी बहन शबाना के तीनों बच्चे कुरान पढ़ने के बाद आपस में खेल रहे थे। तभी मेरा भाई अमजद भागकर आया और तीनों बच्चों के साथ खेलने लगा तथा दानीयाल

को पकड़ने की कोशिश करने लगा, तब दानीयाल वहाँ खड़ी स्कोर्पियो के गेट को खोलकर उसमें घुसकर गाड़ी की दूसरी तरफ का गेट खोलकर भागने लगा। तभी अमजद खान ने दानीयाल को पकड़ लिया और एक हाथ से उठाकर कमर में दबाकर दुकान से सटे कमरे में ले गया। दानीयाल अपने को बार–बार छुड़ाने के लिए अपने मामा अमजद से कह रहा था। मेरी माँ ने भी अमजद को मना किया कि बच्चों को परेशान मत करो। लेकिन अमजद दानीयाल को उठाकर लेकर कमरे में चला गया तब मेरी माँ हुस्नआरा, दानीयाल को छुड़ाने के लिए उस कमरे में गयी तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त अमजद खाँ दानीयाल को चारपाई पर गिराकर उसके गले को चाकू से रेत रहा था। दानीयाल छटपटा रहा था। यह देखकर मेरी माँ चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर हम लोग भी कमरे की तरफ भागकर पहुँचे तो देखा कि अमजद मेरी बहन के लड़के दानीयाल का गला रेत रहा था। दानीयाल के गले से काफी खून बह रहा था, वह खून अमजद खाँ के कपड़े बनियान तथा हाथ पर भी खून लग गया था। यह घटना देखकर हम सभी लोग चिल्लाने लगे तो हम लोगों को चाकू दिखाकर धमकी देने लगा। हम लोग डरकर पीछे हो गये और अमजद चाकू को बक्से के बगल में फेंककर भाग गया। दानीयाल को लेकर मेरा छोटा भाई आसिफ अस्पताल गया। जहाँ पर दानीयाल के शरीर से ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गयी थी दानीयाल का खून चारपाई, कंबल, तकिया आदि पर लगा था। घटना के समय दानीयाल की उम्र चार वर्ष थी। दरोगा/विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–3 मु० अरबाज खान** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि घटना दिनांक 21.10.2021 की है। मेरी भाभी शबाना अपने बच्चे दानीयाल के साथ घटना के डेढ़ महीने पूर्व अपने मायके ग्राम बारा थाना गहमर में चली गयी थी। घटना के दिन मुझे जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि मेरे भतीजे दानीयाल, जिसकी उम्र घटना के समय 4 वर्ष की थी, को उसके सगे मामा अमजद खाँ ने गला रेतकर हत्या कर दिया है। इस सूचना पर मैं ग्राम बारा पहुँचा था। वहाँ पर घटना के बारे में मेरी भाभी शबाना उनकी बहन गुलशन आरा तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने घटना के बारे में पूरी बात बतायी थी। इस मुकदमें का अभियुक्त अमजद

कोई काम धन्धा नहीं करता था। घर पर ही रहता था तथा रुपये पैसे के लिए हमेशा घर में बवाल करता था। इस सूचना के आधार पर मैंने थाना गहमर जाकर एक दरखास्त लिखकर थाना में मुकदमें दर्ज करवाया था। वह दरखास्त मेरे साथ गये लोगों में से किसी ने लिखा था, जो मैंने बोला था, वही लिखा था और मैंने दरखास्त को पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। मेरे द्वारा थाना पर दिया गया। वह दरखास्त शामिल पत्रावली कागज संख्या–5 अ मौजूद है, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने दरोगा जी को घटनास्थल दिखाया था। उन्होंने मौके पर ही नक्शानजरी तैयार किया था। दरोगा जी ने मेरे सामने घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी तथा सादी मिट्टी लेकर के उसका फर्द तैयार किया था। मैंने उस फर्द पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज संख्या–7 अ/1 है तथा घटनास्थल से ही पुलिस ने मेरे सामने खून आलूदा कम्बल तथा एक तकिया का खोल बरामद करके उसकी फर्द बनाया था। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज संख्या–7 अ/2 पत्रावली में मौजूद है। मैं इस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ तथा पुलिस ने मेरे सामने ही घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त एक अदद खून आलूदा चाकू बरामद किया था। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज सँख्या–7 अ/3 मौजूद है। मैं इस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ तथा पुलिस ने मेरे सामने ही अभियुक्त अमजद खाँ के हाथ व पैर में लगे खून के छींटे को जाँच हेतु फोरंसिक टीम की मदद लेकर उसका फर्द बनाया था। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज संख्या–7 अ/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ। पुलिस ने मेरे सामने ही अभियुक्त अमजद खाँ द्वारा घटना के समय पहने हुए खून आलूदा हाफ टीशर्ट को लेकर उसकी फर्द तैयार किया था। वह फर्द शामिल पत्रावली कागज संख्या–7 अ/5 है। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, इसकी मैं तस्दीक करता हूँ। मैं अपने भतीजा दानीयाल के पंचायतनामा की कार्यवाही के समय मोर्चरी हाऊस गाजीपुर में उपस्थित था तथा पंचायतनामा की कार्यवाही दरोगा जी ने मेरे सामने किया था तथा पंचायतनामा को मौके पर ही लिखकर तथा पढ़ाकर, सुनाकर उस पर मेरा हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या–8 अ/1 व 8 अ/2 मौजूद है, इस पर बने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ। विवेचक/दरोगा जी ने मेरा

बयान लिया था।

19. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–4 जूही** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि मैं चार बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बड़ी बहन शबाना नाज की शादी ग्राम मिर्चा थाना दिलदारनगर में अमजद खाँ के साथ हुआ था। मेरे बहनोई बाहर नौकरी करते हैं। घटना से करीब दो महीना पहले से मेरी बहन शबाना अपने तीनों बच्चों रुकसार, अबीरा व लड़का दानीयाल को लेकर ग्राम बारा में आयी थी। मेरी मंझली बहन गुलशन की शादी मुहम्मदाबाद में हुई थी। वो भी विदा होकर घर पर आयी हुई थी। हमारा सारा परिवार इकट्ठा था। हम लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। मेरे तीन भाई हैं, जिनका नाम क्रमशः अफजल, अमजद व आसिफ है। दिनांक 21.10.2021 को शाम करीब साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे के बीच मैं अपनी माँ हुस्नआरा व दोनों बहनों के साथ हाते के बाहर बरामदे पर चारपाई पर बैठे थे। मेरे दोनों भाई अमजद खाँ व आसिफ खाँ अलग–अलग कमरों में सो रहे थे। मेरा भाई अमजद खाँ बगल की दुकान से लगे कमरे में सो रहा था। जागकर बाहर आया और भान्जा दानीयाल उम्र 4 वर्ष के साथ खेल रहा था। दानीयाल हंसते हुए भागकर स्कोर्पियो गाड़ी के गेट को खोलकर अन्दर घुस गया तथा दूसरी तरफ गेट से बाहर भागने लगा। मेरा भाई अमजद दानीयाल को पकड़ने का प्रयास करने लगा। दानीयाल को पकड़कर एक हाथ से उठा लिया और अपने कमरे में दबाकर दुकान की तरफ की तरफ ले जाने लगा। दानीयाल उसके हाथ से अपने को छुड़ाने लगा। दानीयाल उसके हाथ से अपने को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चला रहा था और कह रहा था मामा मुझे छोड़ दो। मेरी माँ ने भी अमजद को मना किया था क्यों परेशान कर रहे हो। जब मेरी माँ उस कमरे में गयी तो देखी कि दानीयाल को चारपाई पर पटक कर और उसका गला चाकू से रेत रहा था। दानीयाल के गले से खून का फव्वारा निकल रहा था। खून उसके कपड़ो पर भी लगा था। हम लोग इकट्ठा होकर रोने चिल्लाने लगे तो हम लोगों को चाकू दिखाकर धमकाने लगा। फिर चाकू फेंककर भाग गया। गला कट जाने से दानीयाल की मौत हो गयी थी। घटना की रिपोर्ट चाचा अरबाज खान ने किया था। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–5 मुहम्मद आसिफ खान** ने

अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि दिनांक 21.10.2021 को दोपहर में मैं अपनी गाड़ी स्कोर्पियो जो भाड़े पर चलाता था, को लेकर आया तथा हाते में खड़ा करके खाना खाकर बरामद में स्थित कमरे में सो गया। मेरा भाई अमजद भी बगल के कमरे में सोया था। घर में बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। मेरी अम्मी व आपा बाहर चारपाई पर बैठकर बात कर हते थे। साढ़े तीन–चार बजे के आसपास मेरी माँ हुस्नआरा मेरी बड़ी बहन शबाना नाज रानी एवं गुलशन छोटी बहन जूही अचानक रोते हुए शोर करने लगी, जिससे अचानक मेरी नींद खुल गयी। मैं कमरे से बाहर आया दुकान से सटे बगल वाले कमरे में मौजूद माँ बहन व परिवार के अन्य लोग जो भी मौजूद थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं जब उस कमरे में पहुँचा मेरा भाई अमजद भान्जे दानीयाल को चारपाई पर फेंककर भाग गया। मैं घबराहट में दानीयाल को लेकर घायल अवस्था में सूर्या अस्पताल गहमर पहुँचा। दानीयाल की गर्दन पीछे के कुछ भाग को छोड़कर लगभग पूरी कट गयी थी। सूर्या अस्पताल में उसी समय गहमर थाने से दरोगा जी भी आ गये थे। सूर्या अस्पताल से दानियाल व मुझे लेकर भदौरा सरकारी अस्पताल में गये। वहाँ डाक्टर साहब ने कहा कि दानीयाल मर गया है। तब तक परिवार के अन्य लोग वहाँ पहुँच गये थे। मैं वहाँ से घर चला गया। जब मैं दानीयाल के कमरे में पहुँचा था। उस समय मेरा भाई अमजद हाथ में खून से लथपथ चाकू लिए हुए परिवार के लोगों को धमकाते हुए चाकू कमरे में फेंककर भागा था। उसके कपड़े में भी खून लगा हुआ था। दरोगा जी मेरा बयान लिये थे।

21. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–6 एखलाक खाँ** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि मुल्जिम अमजद खाँ मेरा रिश्तेदार लगता है तथा इस मुकदमें में मृतक दानीयाल मेरा नाती लगता है। दानीयाल की हत्या दिनांक 21.10.2021 को जब शबाना अपने मायके गयी थी तो शाम के चार साढ़े चार बजे के बीच दानीयाल के मामा अमजद खाँ ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दिया। दानीयाल के शव का पंचायतनामा मेरे समक्ष हुआ था। मैंने दानीयाल का शव देखा था। उसका गला सामने से V आकार में कटा हुआ था। मैं पंचायतनामा को पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या–8ब/1 व 8ब/2 है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला

गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–7 सेवानिवृत्त एस.आई. विनोद कुमार पाण्डेय** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि मैं दिनांक 21.10.2021 को बतौर हे०मु० थाना ग्रहमर गाजीपुर में कार्यरत था। उस दिन अरबाज खान पुत्र शमीम खॉ द्वारा प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–237/2021, धारा 302 भा०द०सं० सी०सी०टी०एन०एस० पुर कम्प्यूटर आपरेटर से शब्दशः तहरीर बोलकर अंकित कराया गया था. जो शामिल पत्रावली का0 सं0–4 अ/1 लगायत 4 अ/2 है। मैं इसके विवरण इस पर लगे थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व मोहर को प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 ड्राला गया। उसी क्रम में उस मुकदमे की कायमी रपट नं0–43 दिनांक 21.10.2021 समय 18:30 बजे सी०सी०टी०एन०एस० पर कम्प्यूटर आपरेटर से बोलकर अंकित कराया था, जो शामिल पत्रावली का०सं०–15 ब/3 है। मैं इसके विवरण को प्रमाणित करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

23. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–8 डा० सुनील कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि दिनांक 22.10.2021 को मैं सी०एच०सी० खानपुर पर बहैसियत चिकित्साधिकारी तैनात था। उस दिन मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी थी। उस दिन 02:10 पी0 एम 0 पर मैंने मृतक दानियाल खान पुत्र अमजद खान निवासी ग्राम बारा थाना गहमर जिला गाजीपुर के शव का पोस्टमार्टम किया था। जिसे थाना गहमर के कां० अंकित सिंह वगैरह मेरे समक्ष लेकर आये थे और शव की शिनाख्त अरबाज खान वगैरह ने किया था।

<u>सामान्य परीक्षण</u> –मृतक 105 से0 मी0 लम्बा, सामान्य कद काठी का पुरुष था। जिसकी दोनो ऑखे बन्द थी तथा मूँह अधखुला था एवं मृत्यु पश्चात की अकड़न शरीर के दोनो हिस्से में मौजूद थी। मृतक के शरीर पर शर्ट एक, पैण्ट एक तथा गर्दन में ताबीजयुक्त काला धागा मौजूद था।

<u>मृत्यु पूर्व आयी हुई चोटें</u>–

1. मृतक के बाये अनामिका अंगुली (इंडेक्स फिंगर) पर बाही ओर 1.5 से०मी० X 0.25 से०मी० x मांस तक गहरा फटा हुआ घाव मौजूद था जो मेटाकार्पल ज्वाइंट से 1 से०मी० नीचे स्थित था।

2. फटा हुआ घाव 1 से०मी० x 0.25 से०मी० x मांस तक गहरा बाये इन्डेक्स फिंगर के बाहरी ओर मेटाकार्पल जोड़ से डेढ़ सेमी० नीचे था।

3. U आकार का कटा हुआ घाव 20 से0 मी0 की लम्बाई में हड्डी तक गहरा जो बायें कान के निचले हिस्से से 3 से0 मी0 नीचे एवं दाहिने कान के निचले हिस्से से 3.5 से0 मी0 नीचे और ठुडढ़ी के मध्य भाग से 5 से0 मी0 नीचे स्थित था। विच्छेदन के उपरान्त स्वांस नली, खाने की नली, दोनो तरफ का मुख्य खून की नली एवं प्रथम रीढ़ की हड्डी आर–पार कटा हुआ था। पीछे की तरफ सिर्फ 4 से0 मी0 चमड़ा जुड़ा हुआ था।

4. कटा हुआ घाव 8 से0 मी0 x मांस तक गहरा चोट का निशान दाहिने क्लेविकल हड्डी के ठीक उपर चोट नं0–3 से 1 से0 मी0 नीचे स्थित था।

<u>आन्तरिक परीक्षण</u>– हृदय दोनो तरफ खाली था एवं आमाशय में अधपचा भोजन मौजूद था। छोटी ऑत में गैस व तरल पदार्थ, बड़ी ऑत में गैस व मल पदार्थ मौजूद था।

<u>अभिमत</u>– मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आयी हुई धारदार हथियार के फलस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्राव एवं सदमे के कारण हुई थी जो लगभग एक दिन पुरानी थी।

उक्त मृतक की पी०एम० रिपोर्ट मैंने अपने निर्देशन में पी०एम० हाउस के कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोल कर तीन प्रतियों में टाईप करवाया था एवं उन्हे हस्ताक्षरित करके प्रथम प्रति 13 पुलिस प्रपत्रों के साथ एस०पी० गाजीपुर को द्वितीय प्रति सी०एम०ओ० गाजीपुर एवं तृतीय प्रति मृतक के शरीर से प्राप्त कपड़ो को सील बन्द कराकर शव के साथ शव लाने वाले सिपाहियों के माध्यम से थानाध्यक्ष गहमर को भेज दिया था। मूल पी०एम० रिपोर्ट शामिल पत्रावली का0 सं0–93/1 लगायत 93/3 है, जो मेरे निर्देशन में तैयार की गयी है तथा उस पर मेरे हस्ताक्षर भी है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। मृतक की मृत्यु 21.10.2021 को शाम को 04:00 से 04:30 बजे के बाद किसी भी समय की हो सकती है और मृतक को मृत्युपूर्व आयी हुई चोटे किसी धारदार हथियार से पहुँचायी गयी थी। धारदार हथियार में चाकू भी

आता है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

24. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू–9 निरीक्षक त्रिवेणी लाल सेन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि पी०डब्लू०–9 त्रिवेणी लाल सेन द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि दिनांक 21.10.2021 को मैं थाना गहमर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन अ0सं0–237/2021, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० विरूद्ध अमजद खॉ, थाना गहमर में पंजीकृत होकर विवेचना हेतु मुझे प्राप्त हुई। जिसकी विवेचना उसी दिन प्रारम्भ करते हुए नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक विनोद कुमार पाण्डेय, वादी मुकदमा अरबाज खॉ, केस डायरी में अंकित किया तथा वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके का नक्शा नजरी अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया जो शामिल पत्रावली का०सं०–5अ है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदश क–6 डाला गया। उसी दिन घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी, एक अदद खून आलूदा कम्बल व एक अदद तकिया का खोलन तथा खून आलूदा चाकू समक्ष गवाहान कब्जा पुलिस में लेकर उसकी अलग–अलग फर्द समक्ष गवाहान अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली क्रमशः का०सं०–73ब/1 लगायत 73ब/3 है जो मेरे लेख हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 डाला गया। उसी दिन अभियुक्त अमजद खॉ के हाथ व पैर में लगे छीटें को फोरेंसिक टीम के सहयोग से ब्लड काटन स्वैब कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द तैयार किया था, जो शामिल पत्रावली का०सं०– 73ब/4 है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। उसी दिन अमजद खॉ के पहने हुए एक अदद खून आलूदा हाफ टी शर्ट को कब्जा पुलिस में लेकर उसकी फर्द अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया था जो शामिल पत्रावली का0सं0–73ब/5 है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। फर्द की नकल केस डायरी में अंकित किया तथा माल को थाने के मालखाने में दाखिल करा दिया था तथा अभियुक्त अहमद खॉ का बयान केस डायरी में अंकित किया था। दिनांक 24.10.2021 को मृतक की मॉ श्रीमती शबाना नाज, मौसी रानी व गुलशन, जूही, नानी हुस्न आरा, मामा मो० आसिफ का बयान केस डायरी में अंकित

किया। इसके पूर्व 22.10.2021 को ही मृतक दानियाल खॉ पुत्र अजमद खॉ के शव का पंचायतनामा समस्त पंचान तैयार कर आवश्यक पुलिस प्रपत्र तैयार किया था तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मूल पंचायतनामा का०सं०–8ब/1 व 8ब/2 है, जो मैंने बोल–बोल कर एस०आई० कृष्ण प्रताप से लिखवाया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क–2 पहले से ही पड़ा है। आवश्यक पुलिस प्रपत्र चिट्टी आर०आई० का0 सं0–11अ/1, पत्र सी०एम०ओ० 113/2, चालान नाश 123/1 तथा फोटोनाश का0 सं0–13अ तथा नमूना मोहर का०सं०–14अ है, को मैने अपने निर्देशन में तैयार कराया था। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। जिन पर कमशः प्रदर्श क 12 लगायत प्रदर्श क–16 डाला गया। दिनांक 26.10.2021 को मृतक दानियाल खॉ के पंचायतनामा व पी०एम० रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया। दिनांक 27.10.2021 को पंचायतनामा व फर्द के गवाहान एकलाख खॉ, अनीस खॉ, इन्तखाब, मो० आसिफ तथा अब्बास खॉ का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 28.10.2021 को कां० अंकित सिंह, कां० बलवीर सिंह व एस०आई० कृष्ण प्रताप सिंह का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 29.10.2021 को सम्बंधित माल परीक्षण हेतु डाकेट तैयार कराकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला जरिये का० सुनील कुमार प्रेषित किया था। दिनांक 04.11.2021 को सम्बंधित माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की दिनांक 30.10.2021 को रसीद प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया। दिनांक 15.11.2021 को डा0 सुनील कुमार का बयान केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 24.12.2021 को गवाह मो० अमजद खॉ का बयान केस डायरी में अंकित किया तथा उसी दिन गवाहों के बयानात व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अमजद खॉ के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० में अपने निर्देशन में तैयार कराकर प्रेषित किया था, जो शामिल पत्रावली का०सं०–3ब/1 लगायत 3ब/3 है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं। जिसकी मैं तस्दीक करता है। जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। मुकदमे से सम्बंधित माल एक सील बन्द कपड़े के बण्डल तथा एक प्लास्टिक के झोले में समक्ष न्यायालय लाया गया है। सफेद कपड़े के बण्डल जिस पर मुकदमे का विवरण एवं गवाह के हस्ताक्षर है। न्यायालय के

आदेश से खोला गया तो उसमें से एक अदद चाकू लोहे का निकला जिसे गवाह ने देखकर कहा कि यह वही चाकू है। जिसका उपयोग अभियुक्त अमजद खॉ ने दिनांक 21.10.2021 को दानियाल खॉ की हत्या करने में प्रयोग किया था तथा जो दिनांक 21.10.2021 को घटनास्थल के निरीक्षण के समय समक्ष गवाह अरबाज खॉ बरामद हुआ थां जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया तथा प्लास्टिक के झोले को न्यायालय के समक्ष खोला गया तो उसके अन्दर से सफेद कपड़े के तीन बण्डल निकला। पहले बण्डल में से एक अदद तकिये का खोल तथा एक खून आलूदा कम्बल निकला जिसे गवाह ने देखकर कहा कि घटनास्थल से बरामद यह हुआ थां जिसकी मैं पहचान करता हूँ। जिस पर वस्तु प्रदर्श–2 व वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया। दूसरे सफेद बण्डल को खोला गया तो उसमें से मृतक बच्चे के कपड़े जिसमें शर्ट एक, पैण्ट एक तथा ताबीजयुक्त एक धागा एवं सफेद गमछा मिला। जिस पर वस्तु प्रदर्श–4 लगायत वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। तीसरे बण्डल को खोला गया तो उसके अन्दर से खून आलूदा एक अदद हाफ टी शर्ट निकला जिसे गवाह ने देखकर कहा कि घटना के समय उपरोक्त टीशर्ट अभियुक्त अमजद खॉ पहना हुआ थां जिस पर वस्तु प्रदर्श–8 डाला गया तथा उसी प्लास्टिक के झोले से 6 अदद लिफाफा निकला। दो लिफाफे में खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी निकला। जिस पर वस्तु प्रदर्श–9 व वस्तु प्रदर्श–10 डाला गया। तीसरे लिफाफे से अभियुक्त अमजद खॉ का ब्लड काटन स्वैब निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–11 डाला गया। चौथे लिफाफे को खोला गया तो उसके अन्दर से खून आलूदा चाकू आला कत्ल का ब्लड काटन स्वैब निकला, जिस पर वस्तु प्रदर्श–12 डाला गया। पॉचवे लिफाफे से खून आलूदा कम्बल का कतरन निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–13 डाला गया। छठे लिफाफे को खोला गया तो उसके अन्दर से तकिये का कतरन निकला जिस पर वस्तु प्रदर्श–14 डाला गया।

25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 यह प्रावधान करती है कि निर्णय की अन्तर्वस्तु में अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट किए जाने चाहिये।

26. अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आलोक में

न्यायालय को निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओं पर न्याय निर्णयन दिया जाना विधिसंगत एवं समीचीन होगा–

(i). क्या अभियुक्त मो० अमजद खाँ ने वादी मुकदमा के भतीजे दानियाल उम्र 4 वर्ष की गला रेतकर हत्या कारित की गयी है ?

(iii). क्या अभियोजन, अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–(i)</u>

27. अवधार्य बिन्दु संख्या–(i) इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियुक्त मो० अमजद खाँ ने वादी मुकदमा के भतीजे दानियाल उम्र 4 वर्ष की गला रेतकर हत्या कारित की गयी है ?**

28. जहाँ तक अवधार्य बिन्दु संख्या–(i) का प्रश्न है, अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा का भतीजा दानीयाल उम्र चार वर्ष अपनी माँ के साथ जब अपने ननिहाल ग्राम बारा में आया हुआ था तो दिनांक–21.10.2021 की सायं अभियुक्त मो० अमजद खाँ ने कमरे में ले जाकर गला रेतकर उसकी हत्या कारित कर दी ।

चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन

29. प्रश्नगत प्रकरण में दानियाल की हत्या के समय उसकी मॉ पी0 डब्लू0–1 शबाना नाज, उसकी मौसी पी0 डब्लू0–2 गुलशन आरा एवं पी0 डब्लू0–4 जूही की मौजूदगी मौके पर बतायी गयी है तथा इन सभी द्वारा घटना अपने समक्ष कारित होने का कथन किया गया है।

30. पी0 डब्लू0–1 शबाना नाज द्वारा अपने बयानो में यह कहा गया है कि जब उसका पुत्र दानियाल स्कार्पियो गाड़ी के गेट को खोल कर उसके अन्दर घुस गया और दूसरी तरफ से निकल कर भागने लगा तो अभियुक्त अमजद खॉ ने दानियाल को पकड़ कर एक हाथ से उठा लिया और कमरे में दबा कर दुकान से सटे कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसका बेटा अभियुक्त मामा अमजद कब्जे से छुड़ाने के लिए उससे बार–बार अनुरोध कर रहा था। जब उसकी मॉ उसको छुड़ाने कमरे में गयी तो उसने देखा कि अभियुक्त अमजद

बेटे दानियाल को चारपाई पर पटक कर दबा कर उसके गले को चाकू से रेत रहा था और दानियाल छटपटा रहा था। यह देखकर मेरी मॉ जोर जोर से चिल्लाने लगी और हम लोग भी कमरे की तरफ भागे, देखा कि अमजद मेरे लड़के दानियाल का गला चाकू से रेत रहा था। इसी प्रकार पी0 डब्लू0–2 गुलशन आरा भी अपने बयानो में यह कहा गया है कि जब अपनी मॉ हुस्न आरा के चिखने चिल्लाने पर वह कमरे में भागते हुए पहुॅची तो देखा कि अमजद उसकी बहन के लड़के दानियाल का गला चाकू से रेत रहा था। दानियाल के गले से काफी खून बह रहा था। वह खून अमजद खॉ के कपड़े, बनियान तथा हाथ पर भी लग गया था। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0 डब्लू0–4 जूही द्वारा भी अपने बयानो में यह कहा गया है कि मेरा भाई अमजद दानियाल को पकड़ कर एक हाथ से उठा लिया और अपने कमर में दबा कर दुकान की तरफ ले जाने लगा। दानियाल उसके हाथ से अपने को छुड़ाने के लिए हाथ–पैर चला रहा था और कह रहा था मामा मुझे छोड़ दो, जब मेरी मॉ उस कमरे में गयी तो देखी कि दानियाल को चारपाई पर पटक कर उसका गला चाकू से रेत रहा था। दानियाल छटपटा रहा था। दानियाल के गले से खून का फव्वारा निकल रहा था, खून उसके कपड़े पर भी लगा था। हम लोग इकट्ठा होकर रोने चिल्लाने लगे तो हम लोगों को चाकू दिखा कर धमकाने लगा, फिर चाकू फेंक कर भाग गया। गला कटने से दानियाल की मौत हो गयी थी।

31. उपरोक्त सभी साक्षी अभियुक्त अमजद की बहनें हैं। घर के सभी परिजन यदि एक स्वर में अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना बता रहे हैं तब इस पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। कोई भी मॉ यह नहीं चाहेगी कि उसके चार वर्षीय पुत्र की नृशंस हत्या हो जाये और वास्तविक हत्यारे के सापेक्ष वह अपने ही सगे भाई को घटना में फर्जी रूप से फॅंसा दे। ज्ञातव्य है कि अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में अपनी बहनों से कोई पूर्व रंजिश नहीं बतायी गयी है तथा न्यायालय के समक्ष चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा जो बयान दिये गये हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त अमजद द्वारा चार वर्षीय अबोध बालक दानियाल की हत्या किया जाना साबित हो रहा है।

32. अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन

कथानक के अनुसार जब मृतक स्कार्पियो गाड़ी का गेट खोल कर खेल रहा था तब अभियुक्त उसे कमरे में उठा ले गया एवं उसका कत्ल कर दिया। किन्तु इतनी छोटी आयु के बच्चे का गेट खोलना सम्भव नहीं है। उनके द्वारा पी0 डब्लू0–5 मो0 आसिफ खॉ के बयान की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिसमें इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि अपनी गाड़ी खड़ा करने के बाद उसको लॉक कर देता है। उक्त आधारों पर यह तर्क रखा गया है कि अभियोजन का कथानक विश्वसनीय नहीं है।

33. जहॉ तक उक्त तर्क का प्रश्न है, यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता है कि कोई छोटा बच्चा गाड़ी का गेट खोल सकता है अथवा नहीं, बल्कि मुख्य घटना कमरे में ले जा कर चाकू से गला रेत कर हत्या किया जाना, यदि साक्षीगण के बयान से साबित हो रहा है तब उस दशा में इस तुच्छ विसंगति के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बालक गाड़ी के फुटरेस्ट पर खड़ा हो जाये तो निश्चित तौर पर उसका हाथ दरवाजे के हैण्डिल तक जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में मृतक की लम्बाई डाक्टर द्वारा 105 से0 मी0 अंकित की गयी है। इस लम्बाई का व्यक्ति यदि अपना हाथ उपर उठा दे तो उसका हाथ गाड़ी के हैण्डिल तक पहुॅच सकता है। पी0 डब्लू0–5 आसिफ खॉ द्वारा अपनी जिरह में यह कहा गया है कि घटना के दिन मैंने अपनी स्कार्पियो गाड़ी का गेट लॉक किया था या नहीं मुझे याद नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि यह नहीं माना जा सकता है कि जिस दिन कथित घटना कारित हुई, उस समय गाड़ी का दरवाजा लॉक था एवं उसे खोला नहीं जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

34. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी0 डब्लू–1 शबाना नाज के बयान की उन पंक्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसमें इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि मैंने अमजद खॉ को मौके पर नहीं देखा है, बल्कि मेरी मॉ ने देखा है। बयान की मात्र इस पंक्ति के आधार पर यह तर्क रखा गया है कि पी0 डब्लू–1 बाना नाज ने घटना नहीं देखी है। जहॉ तक उक्त तर्क का प्रश्न है, किसी भी साक्षी के बयान पर समग्रता में विचार किया जाना होता है तथा मात्र एक पंक्ति के आधार पर साक्षी को अविश्वसनीय मान लिया जाना विधि में अपेक्षित नहीं है। कोई भी साक्षी जब कोई कथन करता है तो यह देखा जाना

होता है कि किस प्रश्न के परिपेक्ष्य में उसके द्वारा कोई अमुक कथन किया गया है। पी0 डब्लू–1 शबाना नाज द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी जिरह में यह कहा गया है कि मेरी मॉ के बाद अमजद को सभी लोगों ने देखा है। भागते हुए अमजद खॉ को हम सभी लोगों ने देखा था। यह भी कहा गया है कि मैं घटना के वक्त मौके पर थी। इस साक्षी द्वारा अपने बयानो में यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि कथित घटना सर्वप्रथम उसकी मॉ द्वारा ही देखा गया था तथा मॉ के चिल्लाने पर वह तथा परिवार के अन्य लोग घटनास्थल पर पहुॅचे और अभियुक्त अमजद खॉ को घटना कारित करते हुए देखा। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा जो उपर्युक्त बयान दिया गया है, वह इसी परिपेक्ष्य में दिया गया है। इसलिए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विश्लेषण

35. प्रश्नगत प्रकरण में मृतक के चाचा मु० अरबाज खाँ द्वारा घटना की तहरीर थाना गहमर पर दी गयी जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 3 के रुप में परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू 3 मु०अरबाज खाँ द्वारा अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 21.10.2021 की है। मेरी भाभी शबाना अपने बच्चे दानीयाल के साथ घटना के डेढ़ महीने पूर्व अपने मायके ग्राम बारा थाना गहमर में चली गयी थी। घटना के दिन मुझे जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि मेरे भतीजे दानीयाल, जिसकी उम्र घटना के समय 4 वर्ष की थी, को उसके सगे मामा अमजद खाँ ने गला रेतकर हत्या कर दिया है। इस सूचना पर मैं ग्राम बारा पहुँचा था। वहाँ पर घटना के बारे में मेरी भाभी शबाना, उनकी बहन गुलशन आरा तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने घटना के बारे में पूरी बात बतायी थी। इस सूचना के आधार पर मैंने थाना गहमर जाकर एक दरखास्त लिखकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।

36. इस साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था, बल्कि टेलीफोन के जरिये सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुँचा तथा तथा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बतायी गयी घटना के आधार पर उसके द्वारा दिनांक 21.10.2021 को समय 18:30 बजे तहरीर थाना गहमर पर प्रस्तुत की गयी है।

37. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की तहरीर संदेहास्पद है। अभियोग घर में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखाया गया है बल्कि देवर जब घटनास्थल पर आया तब उसके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही मृतक मॉ शबाना द्वारा जुबानी सूचना थाने पर दिया जाना कहा गया है जिससे तहरीर की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

38. जहॉ तक उपरोक्त तर्क का प्रश्न है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि कोई अमुक व्यक्ति ही इसे दर्ज करा सकता है। बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसको घटनाक्रम की जानकारी हो, वह अभियोग पंजीकृत करा सकता है। कथित मामला चार वर्ष के अबोध बालक की हत्या से सम्बंधित है तथा पी.डब्लू 1 शबाना नाज उक्त बालक की माँ है। इसलिए यह पूर्णतया स्वाभाविक है कि थाने पर घटना की सूचना देते वक्त उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होगी। इसलिए घटना का विवरण उसके द्वारा जुबानी तौर पर थाने पर दिया जाना स्वाभाविक व व्यवहारिक है। उसका यह कथन भी असत्य नहीं है कि उसके द्वारा किसी भी कागज पर जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, उसके हस्ताक्षर नहीं है। बल्कि मामले में यह पूर्णतया स्पष्ट है कि घटना की सूचना लिखित रुप से मृतक के चाचा मो० अरबाज खाँ द्वारा दी गयी है। इस प्रक्रिया में ऐसा कोई कृत्य परिलक्षित नहीं होता है, जो अभियोजन कथानक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है कि कथित घटना की सूचना अरबाज खॉ जो मृतक का चाचा है, के द्वारा थाने में दिये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

चिकित्सकीय रिपोर्ट से अभियोजन कथानक का समर्थन

39. मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा० सुनील कुमार को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू०– 8 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्रवारा अपने बयान में मृतक के शरीर पर कुल 04 चोटें आने का कथन किया गया है, जिसमे से चोट न० 3 में U आकार का कटा हुआ घाव 20 सेमी. की लम्बाई में हड्डी तक गहरा, जो बायें कान के निचले हिस्से से 3 सेमी. नीचे एवं दाहिने कान के निचले हिस्से से 3.5 सेमी. नीचे और

ठुडढ़ी के मध्य भाग से 5 सेमी. नीचे होना अंकित है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू के गहरे घाव के कारण मृतक दानियाल की मृत्यु होना दर्शित किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्रवारा जिस प्रकार घटना कारित होना बताया गया है उसका समर्थन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रहा है।

40. मामले के विवेचक पी.डब्लू 9 त्रिवेली लाल द्वारा अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा हत्या के समय पहने हुए खून आलूदा टीशर्ट बरामद की गयी है, जिसकी फर्द प्रदर्श क–11 पत्रावली पर उपलब्ध है तथा घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया गया है, जिसकी फर्द पत्रावली पर प्रदर्श क–11 के रुप में उपलब्ध है।

41. अभियोजन की ओर से पी.डब्लू 6 एखलाक खाँ को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा मृतक के पंचायतनामा की कार्यवाही को साबित करते हुए पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया गया है।

42. उपरोक्त साक्षियों के बयान से स्पष्ट है कि मृतक दानियाल की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कारित की गयी है।

त्रुटिपूर्ण विवेचना का प्रभाव

43. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मामले के विवेचक द्वारा जहाँ मृतक की माँ व अन्य लोग अहाते में चारपाई पर बैठे थे, उस स्थान को नक्शानजरी में नहीं दिखाया गया है।

44. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटनास्थल अभियुक्त का मकान स्थित ग्राम बारा में दर्शित किया गया है, जिसमें 'A' स्थान पर कमरे के अन्दर चारपाई को दिखाया गया है, जहाँ अभियुक्त अमजद खाँ द्वारा अपने भांजे दानीयाल की चाकू से गला रेतकर हत्या कारित की गयी है। कमरे के बाहर खाली जमीन अहाता दिखाया गया है, जहाँ पर दानीयाल अन्य बच्चों के साथ खेलना तथा वहीं से अभियुक्त अमजद उसे उठाकर कमरे के अन्दर ले जाना तथा कमरे के अन्दर ले जाकर उसकी हत्या किया जाना कहा गया है। ऐसी स्थिति में मात्र अहाते में परिवार के अन्य लोगों के बैठने के स्थान को विवेचक द्वारा नक्शानजरी न दिखाये जाने से पूरे नक्शानजरी

को गलत नहीं कहा जा सकता है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उपरोक्त तर्क मे कोई बल नहीं पाया जाता है।

मोटिव का अभाव

45. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि मृतक दानीयाल अभियुक्त का सगा भान्जा था। उसके पास मृतक की हत्या करने का कोई मोटिव नहीं है। बिना किसी मोटिव के किसी व्यक्ति द्वारा अपने भान्जे की हत्या जाना सम्भव नहीं है। पी.डब्लू 2 गुलशन आरा द्वारा अपने बयान में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि अमजद खाँ की शबाना नाज से कोई दुश्मनी नहीं है। अभियुक्त को उसी के परिवार के लोगों द्वारा फर्जी तौर पर मुकदमें फंसाया गया है।

46. जहाँ तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उपरोक्त तर्क का प्रश्न है। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लिखित किये गये अभिकथन तथा साक्षियों द्वारा दिये गये बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मो० अमजद खाँ द्वारा वादी मुकदमा के भतीजे की कमरे के अन्दर चारपाई पर गला रेतकर निर्मम हत्या कारित गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण सीधे साक्ष्य (Direct Evidence) पर आधारित है एवं जिस किसी प्रकरण का सीधा साक्ष्य उपलब्ध है, वहॉ मोटिव की कोई विषेश महत्ता नहीं रह जाती है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये समस्त साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि मोटिव साबित नहीं है, तब उस दशा में भी इसका कोई लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता है।

47. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 'हेतुक'(मोटिव) को सुसंगत बताती है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **धनंजी अहिर बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2002 (44) ए.सी.सी. 438** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि – यह सच है कि आम तौर पर हर आपराधिक कृत्य के पीछे कोई न कोई मकसद होता है और जाँच एजेंसी को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि आरोपी व्यक्ति का अपराध करने के पीछे तात्कालिक मकसद क्या था। लेकिन साथ ही, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मकसद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबसे पहले खुद आरोपी को ही पता होता

है। इसलिए, हर मामले में अभियोजन पक्ष के लिए यह बता पाना संभव नहीं हो सकता कि आखिर किस बात ने आरोपी को वह विशेष अपराध करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया। अपराधी किसी खास मोटिव को हासिल करने के लिए कौन–सा तरीका अपनाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी योजनाएँ किस तरह बनाते हैं। इसलिए, सिर्फ़ इस आधार पर कि अभियोजन पक्ष तात्कालिक मकसद के बारे में पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में नाकाम रहा, अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को खारिज कर देना सही नहीं होगा, खास तौर पर तब, जब हमले के संबंध में प्रत्यक्ष सबूत मौजूद हों, और वे साबित भी हो चुके हों तथा विश्वसनीय माने जाते हों।

48. प्रस्तुत प्रकरण वैसे भी सीधे साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे प्रकरण में यदि मोटिव नहीं भी है, तब भी यह सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **स्टेट आफ यू.पी. बनाम नवाब सिंह 2005 एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 33, शिवराज बापूरे जाधव बनाम स्टेट आफ कर्नाटक (2003)6 एस.सी.सी. 392, थेमन कुमार बनाम स्टेट आफ यूनियन टेरेट्री आफ चन्डीगढ़ (2003) 6 एस.सी.सी. 380, स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश बनाम जीत सिंह (1999) 4 एस.सी.सी. 370, नथुनी यादव बनाम स्टेट आफ बिहार (1998) 9 एस.सी.सी. 238** एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **रामबाबू झा बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2003(46) ए.सी.सी. 982 (इला० डी.बी.)** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी अपराध को करने के लिए विधिक मोटिव होना अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य विश्वसनीय सबूत आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं, तो मोटिव को साबित करने में विफलता या मोटिव के संबंध में सबूतों की कमी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक सिद्ध नहीं होगी।

49. उपरोक्त निर्णय विधियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि किसी अपराध को करने के लिए मोटिव होना अनिवार्य शर्त नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोइ बल नहीं पाया जाता है।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया जाना

50. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में परीक्षित अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 शबाना नाज द्वारा यह कहा गया है कि सर्वप्रथम उसकी मॉ हुस्नआरा ने अभियुक्त अमजद खॉ को मृतक दानियाल का गला चाकू रेत कर उसकी हत्या कारित करना देखा था। इस प्रकार उक्त हुस्नआरा प्रश्नगत मामले में एक महत्वपूर्ण साक्षी हो सकती थी। परन्तु अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक पूरी से संदिग्ध हो जाता है।

51. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के आलोक में यह उल्लेखनीय है कि किसी मामले में अपराध साबित करने के लिए साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य ही पर्याप्त होता है।

52. इस सम्बन्ध में निर्णय विधि **अमरीक सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 2017 (99) ए.सी.सी. 377** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक मुकदमे में अदालत आरोपी को एकमात्र चश्मदीद गवाह के बयान पर दोषी ठहरा सकती है, भले ही वह मृतक से संबंधित हो। संबंधित गवाह यह नहीं चाहेगा कि असली अपराधी बिना सज़ा पाए बच जाए और किसी निर्दोष को झूठे मामले में फँसाया जाए।

53. उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है कि मात्र हुस्न आरा के परीक्षित नहीं कराये जाने के कारण अभियोजन कथानक साबित नहीं है। जहॉ घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया गया हो, वहॉ मात्र एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को परीक्षित न कराये जाने के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

<u>**निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–(ii)**</u>

54. द्वितीय अवधार्य बिन्दु इस सम्बन्ध में है कि **क्या अभियोजन, अभियुक्त मो० अमजद खाँ के विरूद्ध आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?**

55. जहॉ तक उपरोक्त अवधार्य बिन्दु का प्रश्न है, अवर्धाय बिन्दु संख्या (i) का

निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियुक्त मो० अमजद खाँ द्वारा अपने खुद के भान्जे तथा वादी मुकदमा के भतीजे दानीयाल उम्र 04 वर्ष की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गयी। अभियोजन की ओर से जो तथ्य के साक्षी पी.डब्लू.–1 शबाना नाज, पी.डब्लू.–2 गुलशन आरा, पी.डब्लू.–3 मो० अरबाज खाँ, पी.डब्लू 4 जूही, पी०डब्लू 5 मु० आसिफ खाँ व पी०डब्लू 6 एकलाख खाँ परीक्षित कराये गये हैं, के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। परिणामस्वरूप अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–302 भा.दं.सं को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त मो० अमजद खाँ उपरोक्त अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतएव अभियुक्त मो० अमजद खाँ को सत्र परीक्षण संख्या–248/2022 राज्य प्रति मो० अमजद खाँ, मु.अ.सं.–237/2021 अन्तर्गत थाना गहमर, जिला गाजीपुर में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–302 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अमजद खाँ, पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है तथा जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है।

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 06.06.2026 को पेश हो।

सजा के बिन्दु पर सुनवाई के समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मनोज बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश 2022 आई.एन.एस.सी. 606** के मामले में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में अभियुक्त के बावत जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या, जेल अधीक्षक गाजीपुर से अभियुक्त की जेल कन्डक्ट एवं प्रिजन रिपोर्ट तथा चिकित्सा अधिकारी से अभियुक्त की मनोचिकित्सीय एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी आहूत की जाये।

दिनांक : 03.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर।

11.06.2026

1. पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अमजद खाँ जिला कारागार से उपस्थित है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है एवं उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस कारण उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

3. जबकि अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा 04 साल के मासूम बच्चे की नृशंस हत्या की गयी है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है। जिस क्रूरता के साथ हत्या की गयी है, वह दुर्लभ से दुर्लभ मामलों की श्रेणी में आता है। इसलिए अभियुक्त को मृत्युदंड से दण्डित किया जाये।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा चार वर्ष के बालक को अत्यंत क्रूरतापूर्वक बर्बरता करते हुए गला काट कर उसकी हत्या कारित कर दी गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की भयावहता/दरिंदगी शव विच्छेदन रिपोर्ट में दर्शित चोटों के विवरण व शव की दशा से पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है। जिस चिकित्सक द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है उसके द्वारा यह अंकित किया गया है कि श्वास नली, खाने की नली दोनों तरफ मुख्य खून की नली एवं प्रथम रीढ़ की हड्डी आर–पार कटी हुई थी एवं पीछे की तरफ मात्र 4 सेमी. चमड़ा जुड़ा हुआ था। जिस समय इस नृशंस तरीके से उस बच्चे का गला काटा जा रहा होगा, उसके द्वारा अपने हाथों से चाकू के प्रहार को रोकने का प्रयास किया गया होगा, जिस कारण उसकी उंगलियों मे भी घाव पाये गये हैं और तड़प कर उसकी सांसे थम गयी होगी। अभियुक्त द्वारा एक निर्दोष बच्चे की अमानवीय तरीके से निर्मम हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त मृतक/पीड़ित का सगा मामा है और उसके द्वारा रिश्तों की भी कोई मर्यादा नहीं रखी गयी है।

5. निर्णय विधि **बचन सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1980 (2) एस0सी0 सी0 684** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सम्मानित मत के अनुसार दुर्लभतम से दुर्लभ मामले में ही मृत्यु दण्ड की सजा दी जा सकती है। अपराध इतना क्रूर व जघन्य हो कि मृत्यु के अलावा अन्य कोई सजा पर्याप्त न हो। जहां अपराध की क्रूरता समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दे।

6. निर्णय विधि **मच्छी सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1983 क्रि० ला० ज० 1457 सुप्रीम कोर्ट** में दुर्लभतम से दुर्लभ मामले के सिद्धांत को और स्पष्ट करते हुए यह अवधारित किया गया है कि जब हत्या अत्यंत क्रूरता, निर्दयता व बर्बरतापूर्वक अथवा नृशंसतापूर्वक की गयी हो, जिससे समाज में तीव्र आवेश उत्पन्न हो तथा अपराध इतना जघन्य हो कि समाज के सामूहिक विवेक को हिला दे, हत्या किसी पूर्व नियोजित योजना का भाग हो अथवा अपराधी ने पीड़ित को अमानवीय व अपमानजनक यातना दी हो, पीड़ित एक निर्दोष बच्चा हो अथवा अपराधी किसी ऐसे व्यक्ति का कत्ल किया हो, जिसने उस पर भरोसा किया हो, अपराध का मकसद अत्यंत घिनौना या स्वार्थी हो या अपराध किसी कमजोर वर्ग या जाति के साथ किया गया हो, तो ऐसे मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों की श्रेणी में माना गया है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था व विधि सिद्धान्त के अनुक्रम में प्रस्तुत मामले के सन्दर्भ में उत्तजेक परिस्थियों (Aggravating Circumstances) के बावत पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व साबित प्रपत्रों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा मृतक पीड़ित की गला काटकर निर्दयतापूर्वक हत्या कारित की गयी है। मृतक पीड़ित की उम्र घटना के समय मात्र चार वर्ष थी, जो सांसारिक जीवन के भलाई–बुराई के बारे में स्वयं अबोध था। ऐसे अबोध बालक की क्रूरतापूर्वक की गयी हत्या से स्वयं परिलक्षित हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा अत्यन्त ही अमानवीय तरीके से हैवानियत करते हुए क्रूरता की सारी सीमाये लांघकर उसकी माँ के सामने बच्चे की हत्या की गयी है। जिस माँ ने अपने ही भाई के हाथों अपने

चार साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या होते देखी हो, उसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध होने से समाज प्रभावित होता है तथा मानवीय मूल्यों में गिरावट होती है। अभियुक्त द्वारा कारित उपरोक्त अपराध से सामाजिक व मानवीय संवेदना स्वयं प्रभावित हो रही है।

8. इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **मनोज बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश 2022 आई.एन.एस.सी. 606** के आलोक में दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई से पूर्व जिला प्रोबेशन अधिकारी, जेल अधीक्षक एवं अभियुक्त की मनोचिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट आहूत की गयी।

9. अधीक्षक जिला कारागार अपनी रिपोर्ट दिनांकित 09.06.2026 में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी जेल में निरुद्धता के दौरान कभी–कभी उदण्डता करता है, जिसे मौखिक रुप से समझा–बुझाकर रखा जाता है।

10. जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जाँच के दौरान बंदी अमजद खाँ पुत्र इशरार खाँ की माँ से बातचीत किया गया। बातचीत के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि मेरा पुत्र कुछ समय पहले विदेश गया था, जहाँ से तीन साल रहने के बाद घर आया था। मेरे पुत्र की उम्र लगभग 22–24 वर्ष है। मेरे पुत्र की पूर्व में मानसिक स्थिति सही थी। घर परिवार मे सभी लोगों से अच्छे से बातचीत व्यवहार रखता था। विदेश से आने के बाद गांव मे कुछ गलत दोस्तों की संगति में अक्सर रहने लगा था, जिससे दोस्तों के साथ पार्टी आदि करता था । साथ में कुछ नशाखोरी का भी प्रभाव पड़ने लगा था। घटना के दिन सबकुछ अच्छा था। सब लोग घर पर ही थे। तभी अचानक देखा गया कि दूसरे घर/कमरे में बच्चे की चाकू से हत्या कर दिया है। बच्चा लगभग साढ़े चार वर्ष का था। दोनों का आपस में मामा–भान्जे का रिश्ता था। अचानक यह घटना कैसे हो गयी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस सम्बंध में आसपास पड़ोस के लोगों से जानकारी लिया गया। लोगों द्वारा बताया गया कि बंदी अमजद खाँ पुत्र इशरार

मानसिक स्थिति कभी कभी ठीक नहीं रहती थी, जिस कारण यह घटना होना बताया गया है।

11. चिकित्साधिकारी, जिला कारागार गाजीपुर द्वारा अपनी आख्या मे यह उल्लेख किया गया है कि उक्त बन्दी के मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बन्दी का मानसिक परीक्षण करने के उपरातं पाया गया कि बन्दी को मेंटल सिकनेस की समस्या है एवं बन्दी कभी–कभी आक्रोशित हो जाता है।

12. प्रस्तुत मामले में शमनकारी परिस्थितयों (Mitigating Circumstances) के सम्बंध में यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त के दोषसिद्ध घोषित होने के उपरान्त भी उसे कोई पाश्चाताप नहीं है। सजा के बिन्दु पर जब अभियुक्त को सुना गया तब उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने ही घटना कारित की है और घरवालों से विवाद के चलते चार साल के बच्चे को मार दिया गया है। इस न्यायालय मे जब उससे यह पूछा कि क्या उसे अपने किये पर कोई पछतावा है तब उसके द्वारा यह कहा गया कि उसे कोई पछतावा नहीं है और भविष्य में यदि कोई उससे झगड़ा करेगा तो वह उसे भी मार देगा। ऐसे में अभियुक्त के भविष्य में सुधार होने की कोई संभावना दर्शित नहीं हो रही है।

13. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि सिद्धान्तों के प्रकाश में सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर पत्रावली में उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सम्यक विश्लेषण के पश्चात् तथा अपराध की प्रकृति, अपराध की गंभीरता व अपराध करने की दरिंदगी की चरम सीमा तथा कारित अपराध से समाज पर पड़ने वाली विपरीत प्रभाव तथा अभियुक्त के व्यक्तिगत व पारिवारिक दशा को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रस्तुत मामले में उत्तेजक परिस्थितयों तथा शमनकारी परिस्थितयों पर तुलानात्मक विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अमजद खाँ के द्वारा अबोध बालक/मृतक पीड़ित की गयी निर्मम हत्या दुर्लभतम से दुर्लभ (Rarest of Rare Cases) की श्रेणी में आ रहा है।

14. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अबोध बालक/पीड़ित के साथ अत्यंत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से गला काटकर उसकी माँ के सामने हत्या कारित की है। ऐसे अपराधी समाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अभियुक्त का कृत्य मानवीय मूल्य व सामाजिक व्यवस्था के विपरीत है। अभियुक्त के उक्त आपराधिक कृत्य से मानवीय संवेदना प्रभावित हो रही है।

15. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना व मामले के उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों की श्रेणी में आने के कारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। ऐसे में अभियुक्त मो० अमजद खाँ को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कारित हत्या के अपराध हेतु मृत्युदण्ड तथा मु0 50,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत है।

दण्डादेश

1. अभियुक्त मो० अमजद खाँ को मुकदमा अपराध संख्या–237/2021, धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कारित अपराध हेतु मृत्युदण्ड तथा मु० 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न देने की दशा में अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

2. दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अमजद खाँ के गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये जब तक उसकी मृत्यु न हो जाये (To be hanged by the neck till he is dead) I

3. धारा 366 दण्ड प्रक्रिया संहिता (407 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत विचारण की सम्पूर्ण मूल पत्रावली मय प्रपत्र माननीय उच्च न्यायालय को दण्डादेश की पुष्टि हेतु अविलम्ब प्रेषित किया जावे। दोषसिद्ध को धारा 366 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (407 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत सजायाबी वारण्ट के साथ जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध रखा जावे। इस दण्डादेश का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस निर्णय की पुष्टि होने तक स्थगित रहेगी।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 363 (4) के अनुपालन में न्यायालय द्वारा सिद्धदोष जिसे मृत्युदण्ड का आदेश दिया गया है, उन्हें यह बताया गया कि वह अधिकारपूर्वक इस निर्णय के विरूद्ध माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियमानुसार 30 दिवस की अवधि के अंदर अपील कर सकता है।

5. सामान्य नियमावली (दाण्डिक), 1977 के नियम 64 (सामान्य नियमावली, दाण्डिक, 1977 के नियम 67) के परिपत्र संख्या 47 दिनांकित 23 अप्रैल, 1958 के अनुपालन में मृत्युदण्डादेश की पुष्टि हेतु मामले को नियमानुसार माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

6. दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर निर्णय की एक प्रति के साथ जिला कारागार, गाजीपुर प्रेषित किया जावे।

7. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

निर्णय की एक प्रति धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को प्रेषित की जाये।

8. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़ित/मृतक की माता को बतौर प्रतिकर देय होगी।

दिनांक–11.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–11.06.2026

(शक्ति सिंह–I)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–01, गाजीपुर।

Digitally signed by SHAKTI SINGH
Date: 2026.06.11 16:59:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court